



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



2 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 133 राँची, सोमवार,

23 मार्च, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

12 फरवरी, 2026

संख्या-5/आरोप-1-73/2015 का० 785--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री सुबोध कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तमाड़, राँची के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5466, दिनांक 15.10.2015 के माध्यम से उपायुक्त, राँची के पत्रांक-170/ गो० जि०ग्रा०, दिनांक 05.08.2015 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

आरोप पत्र में इनके विरुद्ध मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, पी०डी०एस०, कल्याण आदि विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में वगैर कोई पूर्व सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में अभिरुचि नहीं लेने, इंदिरा आवास योजना के कार्यों में अभिरुचि नहीं लेने एवं कार्य में लापरवाही बरतने अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

2. श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय संकल्प सं०-19878(HRMS), दिनांक 29.03.2023 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

3. विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-412, दिनांक 31.07.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार के विरुद्ध आरोप सं0-1 एवं 3 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है तथा आरोप सं0-2 एवं 4 पर आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान को स्वीकार योग्य बताया गया है।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

5. माननीय झारखण्ड झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा कतिपय मामलों में विभागीय कार्यवाही / अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान साक्ष्यों को Exhibit नहीं करने, साक्ष्यों का परीक्षण संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों से नहीं कराये जाने एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं कराये जाने के कारण सरकार के द्वारा आरोपी सरकारी सेवक के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त कर दिया जाता है।

6. अतः झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2016 के नियम-18(1) के तहत दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

7. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु संचालित विभागीय कार्यवाही में शामिल हों तथा तत्संबंधी सूचना से इस विभाग को भी अवगत कराएँ।

8. श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में पुनः आगे जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री अरूण वाल्टर संग्रा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

9. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-19878(HRMS), दिनांक 29.03.2023 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किये गये हैं।

10. श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख, श्री अरूण वाल्टर संग्रा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को वापस करते हुए अनुरोध है कि दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए यथाशीघ्र जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

11. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दू दोराईबुरु
सरकार के संयुक्त सचिव।
